भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.मु.नि.नि.लि./214/12 /7819 — दिनांक 27.02.2013
SPMCIL/VIG/214/12/ — Date 27.02.2013

परिपत्र/CIRCULAR

विषय/Sub: भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. पदधारियों द्वारा निजी विदेश यात्रा तथा भारत से बाहर अवकाश।/Private foreign visit and Ex-India leave by SPMCIL officials.

निजी विदेश यात्रा तथा भारत से बाहर अवकाश से संबंधित एक शिकायत की जांच के दौरान, भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. के सतर्कता विभाग ने यह पाया कि कार्यालयीन विदेश दौरे के साथ की गई निजी विदेश यात्रा हेतू न तो सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया गया था और न ही भारत से बाहर अवकाश लेने की कोई पूर्व सूचना दी गई थी।

During investigation of a complaint pertaining to private foreign visit and Ex-India leave by Vigilance Department of SPMCIL, it was observed that the Vigilance Clearance Certificate was not obtained for private foreign visit in continuation with an official foreign tour along with prior intimation of availing Ex-India leave.

2. सक्षम प्राधिकारी ने इन खामियों को गंभीरतापूर्वक लिया है। सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. पदधारियों द्वारा निजी विदेश यात्रा तथा भारत से बाहर अवकाश से संबंधित निर्धारित कार्यालय प्रक्रियाओं का अनुपालन कड़ाई से करें। यदि भविष्य में इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन जारी रहता है तो इसे प्रथम दृष्टया दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लघंन माना जाएगा तथा इसे सतर्कता की दृष्टि से देखा जाएगा।

2. The above observations have been viewed as a serious lapse by the Competent Authority. All concerned are hereby once again advised to ensure that all the laid down office procedures regarding Private foreign visit and Ex-India leave are strictly followed. If these guidelines continue to be flouted in future it will prima-facie indicate a clear violation of guidelines and may invite a Vigilance Angle.

- पृष्ठ संख्या 2 पर जारी - / - Contd at page 2 -

011-23701225-26 16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली -110001 फैक्स/Fax : 011-2370122[illegible]

3. इस परिपत्र का व्यापक प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।

3. The widest publicity should be given to this circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

4. This issues with the approval of Competent Authority.

(एस. एस. बालानी)/(S. S. BALANI)
वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी/Sr. VO

महाप्रबंधक/General Manager,
टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना/Mints/Presses/Paper Mill,
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि.।/SPMCIL.

प्रतिलिपि/CC:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक महोदय के विशेष कर्तव्य अधिकारी।/OSD to CMD.
2. निदेशक (मानव संसाधन)/मुख्य सतर्कता अधिकारी (प्रभारी)।/Director (HR)/CVO(I/C)
3. महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)।/सभी उप महाप्रबंधक (नि. मु.)।/GM (IT)/All DGM (CHO).
4. सभी सतर्कता कार्यपालक।/ All Vigilance officials.
5. सूचना पटल।/Notice Board.